न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 78/2018

1 रामलाल पुत्र फताराम।
2 भागुराम पुत्र लच्छुराम।
3 महादेव पुत्र भूराराम।
4 गुलझारी पुत्र भूराराम।
5 फुलचन्द पुत्र प्रसादी।
6 किशन पुत्र प्रसादी समस्त जाति जाट निवासीगण स्वामियों की ढ़ाणी ग्राम पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 अशोकदास पुत्र गुलझारीदास जाति स्वामी पुजारी मंदिर श्री गोपीनाथजी ग्राम पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 प्रबन्धक निदेशक पावर ग्रेड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया निवासी उत्तरी क्षेत्र प्रथम बी 4/184 चित्रकुट स्कीम जयपुर जिला जयपुर।
3 लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 23.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी अशोकदास बनाम रामलाल आदि मुकदमा नम्बर 161/2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री झाबर सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 26.3.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 161/2016 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने भूमि खसरा नम्बर 521 से 523, 537, 582 से 584 वाके ग्राम काटलीपुरा ग्राम पंचायत पचलंगी के संदर्भ में मूर्ति मन्दिर गोपीनाथ जी की ओर से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादी एवं प्रतिवादीगण को विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं कब्जा नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम पचलंगी की सरहद में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 399 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा पुख्ता स्थित थी। उक्त खसरा नम्बर के खातेदार काश्तकार अर्थात कृषक अपीलान्टस के पूर्वज थे जिसका नाम पुरानी मिसल हकियत में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर पुराना 399 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कभी भी मंदिर गोपीनाथ जी की खुदकाश्त नही रही है। ग्राम पचलंगी में पुराना खसरा नम्बर 399 रकबा 4 बीघा 5 बिश्वा का नया खसरा नम्बर 584 रकबा 1.08 हैक्टर स्थित है जिस पर अपीलान्टस का पीढ़ी दर पीढी कब्जा काश्त चली आ रही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टस की तामिल भी नही हुई तथा बिना तामिल, जबाब दावा, तनकीयात व साक्ष्यों के तथा अपीलान्टस को बिना सुनवाई का अवसर दिए ही दिनांक 23.05.2018 का निर्णय पारित कर दिया जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय मे उक्त पत्रावली तलबी अपीलान्टस में चल रही थी। उक्त तारीख पेशी जो पहले ही दिनांक 23.05.2018 को निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सिद्धान्तों की अनदेखी कर उक्त निर्णय पारित किया है। ग्राम पचलंगी की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 584 रकबा 1.08 हैक्टर की पटवारी हल्का पचलंगी द्वारा दिनांक 09.01. 2016 को मौका रिपोर्ट में भी अपीलान्टस का ही कब्जा काश्त बताया गया है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने देवस्थान का कोई पुजारीनामा जारी किया हुआ नही था, बिना युक्तियुक्त दस्तावेज के ही रेस्पोडेन्ट नं. 1 को उक्त मन्दिर का पुजारी मानने में अहम कानूनी भूल की है। तहसीलदार उदयुपुरवाटी ने दिनांक 16.12. 2015 को अपीलान्ट नं. 3 को सूचना के अधिकार के तहत सूचना दी की खातेदारों को बेदखल नहीं किया गया। खसरा नम्बर 584 जमाबन्दी संवत 2073 में पुजारी का नाम हटा दिया गया है तथा मन्दिर का नाम दर्ज है तथा पावर ग्रेड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा विद्युत लाईन डाली गई थी इसलिए खसरा नम्बर 584 का मुआवजा भी अपीलान्टस को ही दिया गया था। इस प्रकार खसरा नम्बर 584 पर पीढ़ी दर पीढ़ी अपीलान्टस का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलान्टस को आज तक मौके से बेदखल नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रशासन गांवो के संग कैम्प पचलंगी में दिनांक 23.05.2018 को जो निर्णय पारित किया गया है उसमें वादी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 (अपीलान्टस) को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध रूप से निर्णय पारित किया अर्थात वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है जबकि वादी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 अपीलान्टस स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जबकि उपरोक्त खसरा नम्बर 584 पर अपीलान्टस का ही कब्जा काश्त है। इसलिए बिना कब्जा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

के रेस्पोडेन्ट नं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश करने का कानूनन कोई हक व अधिकार नही था। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से ग्राम काटलीपुरा की भूमि खसरा नम्बर 521 से 523, 537, 582से 584 के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अपीलांट द्वारा अपील में खसरा नम्बर 584 पर स्वयं का कब्जाकाश्त अंकित करते हुए अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का पचलंगी की रिपोर्ट दिनांक 23.05.2018 के अनुसार विवादित भूमि मन्दिर श्री गोपीनाथ जी के नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि की खातेदारी प्राप्त करने हेतु कोई वाद संस्थित किया गया हो/वाद लंबित हो/वाद अपीलांट के पक्ष में निर्णित हुआ हो ऐसा कोई साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा मन्दिर के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.3.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर